प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी।

सेवा में,

जिलाधिकारी
गाजीपुर।

पत्रांकः–एन0ओ0सी/ 13774-77 /2024–25 दिनाकः 26/03/25

विषयः–अंशु सिंह मोमोरियल आर0एस0 कान्वेंट सैनिक स्कूल नैसारा नन्दगंज गाजीपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में विद्यालय के नाम में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एन0ओ0सी0/13554–57/24725 दिनांक 19.03.2025 द्वारा आर0एस0 कान्वेंट सैनिक स्कूल नैसारा नन्दगंज गाजीपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में विद्यालय पत्रावली में संलग्न भूमि सम्बन्धी पत्रजात पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे आर0एस0 कान्वेंट सैनिक स्कूल नैसारा नन्दगंज गाजीपुर की भूमि की सत्यापन आख्या वेबसाइट के निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड कराते हुए सत्यापन आख्या एवं उपरोक्त बिन्दुओ से सम्बन्धी आख्या नजरी नक्शा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र में अंशु सिंह मेमोरियल आर0एस0 कान्वेंट सैनिक स्कूल नैसारा नन्दगंज गाजीपुर के स्थान पर विद्यालय का नाम त्रुटिवश आर0एस0 कान्वेंट सैनिक स्कूल नैसारा नन्दगंज गाजीपुर अंकित हो गया है।

सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली द्वारा विद्यालय भूमि का मानक न्यूनतम 6000 वर्गमीटर भूमि शहर/देहात में 15 वर्ष के लिए रजिस्टर्ड लीजडीड अथवा स्वामित्व के रूप में एक ही परिसर में उपलब्ध हो एवं विद्यालय भवन भी उसी भूमि पर निर्मित हो, निर्धारित है।

प्रकरण के सम्बन्ध में महोदय को अवगत कराना है कि आयुक्त वाराणसी मण्डल महोदय की अध्यक्षता में सी0बी0एस0ई बोर्ड एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मण्डलीय समिति की बैठक में विद्यालय भूमि की सत्यापन आख्या के साथ निम्नवत बिन्दुओं पर भी आख्या प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैः–

1. विद्यालय हेतु प्रस्तावित समस्त भूमि एकजाई/संयुक्त/आपस में सटी हुई है तथा प्रस्तावित भूमि के मध्य प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त कोई भी अन्य भूमि (सरकारी अथवा निजी) नहीं है।
2. विद्यालय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिकमण नहीं है।
3. विद्यालय/संस्था द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की भूमि (सरकारी अथवा निजी) पर अतिकमण नहीं किया गया है।
4. विद्यालय भूमि के खातेदार यदि एक से अधिक व्यक्ति हैं तो सह खातेदारों द्वारा विद्यालय हेतु अपने हिस्से की भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में समस्त खातेदारों की ओर से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट दिया जाय।

Chairman
Anshu Singh Memorial
R. S. Convent Sainik School
Naisara, Nandganj, Ghazipur

Scanned with OKEN Scanner

5. विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा विद्यालय भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की निजी भूमि अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।
6. विद्यालय परिसर में प्रवेश हेतु आने–जाने का रास्ता होने के सम्बन्ध में आख्या।
7. विद्यालय भवन एवं परिसर के तल की ऊँचाई निर्धारित मानक से कम होने के कारण वर्षा के जल का भराव होने, विद्यालय के पेट्रोल पम्प/एल0पी0जी0 गैस गोदाम के बगल में होने एवं हाईटेंशन विद्युत तार के विद्यालय परिसर के ऊपर से न गुजरने के सम्बन्ध में आख्या।

अतः विद्यालय पत्रावली में संलग्न भूमि सम्बन्धी पत्रजात पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि अंशु सिंह मेमोरियल आर0एस0 कान्वेंट सैनिक स्कूल नैसारा नन्दगंज गाजीपुर की भूमि की सत्यापन आख्या वेबसाइट के निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड कराते हुए सत्यापन आख्या एवं उपरोक्त बिन्दुओ से सम्बन्धी आख्या नजरी नक्शा सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक–उक्तवत

भवदीय

(राम शरण सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी।

पृ0सं0/एन0ओ0सी / /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन) वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य अंशु सिंह मेमोरियल आर0एस0 कान्वेंट सैनिक स्कूल नैसारा नन्दगंज गाजीपुर।

(राम शरण सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी।

Chairman
Anshu Singh Memorial
R. S. Convent Sainik School
Naisara, Nandganj, Ghazipur

Scanned with OKEN Scanner